छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009

(आषाढ़ - 30, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा मदनवाड़ा में हुई नक्सली मुठभेड़ की घटना पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों से गरिमापूर्ण ढंग से सदन को चलाने का आग्रह किया परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य निरंतर नारे लगाते हुए पर्चे लहराते रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 पर प्रश्न पूछा गया तथा उत्तर दिया गया। प्रश्न संख्या 02 से 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री भोलाराम साहू, डॉ.शक्राजीत नायक, श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री राजकमल सिंघानिया ने प्रश्न नहीं किए।

2. बधाई

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री को सदन की ओर से उनके जन्मदिवस पर बधाई दी गई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.13 बजे स्थगित की जाकर 11.23 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्न संख्या 06, 07, 13 एवं 23 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए। प्रश्न संख्या 11 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री देवजी पटेल अनुपस्थित रहे। प्रश्न संख्या 08 से 10, 12, 14 से 22 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री धर्मजीत सिंह, श्री ताम्रध्वज साहू, डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री परेश बागबाहरा, नंदकुमार पटेल, रुद्रकुमार गुरू, महंत रामसुंदर दास, डॉ.प्रेमसाय सिंह, डॉ.शिवकुमार डहरिया, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री मोहम्मद अकबर ने प्रश्न नहीं किए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित प्रश्न एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.25 बजे स्थगित की जाकर 12.02 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान करते रहे।

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री हेमचंद यादव, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) पटल पर रखा।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008,

(2) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) की धारा 90 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-09/दो/गृह-सी/2006, दिनांक 11 जून, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सायबर कैफे नियम, 2009,

(3) श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्रमांक 20 सन् 2000) की धारा 56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-1/15-2/2009/1, दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नियम, 2008 एवं

(4) श्री विक्रम उसेण्डी, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-2008,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य (ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी)

(2) श्री देवजी पटेल (अनुपस्थित), श्री धर्मजीत सिंह, श्री कुलदीप जुनेजा (ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी)

7. प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - वित्तीय वर्ष 2009-2010 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति में हुए रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009 को अपराह्न 4.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान करते रहे।

8. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 23 जुलाई, 2009 की तिथि निर्धारित की ।

9. वक्तव्य

जिला राजनांदगांव के मदनवाड़ा में नक्सलियों द्वारा पुलिस बल पर किए गए हमले संबंधी

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री द्वारा जिला राजनांदगांव के मदनवाड़ा में नक्सलियों द्वारा पुलिस बल पर किए गए हमले संबंधी प्रकरण में वस्तुस्थिति पर शासन की ओर से वक्तव्य दिया गया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर आपत्ति करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

निरंतर व्यवधान के कारण मध्याह्न 12.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 (श्रावण 1, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा